कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्स पदाधिकारी, सिवान।

आदेश

प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 922(15) दिनांक 13.10.2013 के आलोक में जिला औषधि कार्यालय सिंवान के सुदृढीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 1862 दिनांक 17.11.2017 के आलोक समाहरणालय (जिला स्थापना शाखा) सिवान के आदेश ज्ञापांक 1194/स्था0 दिनांक 11.12.2017 से प्राप्त निम्नलिखित कार्यपालक सहायकों को जिला औषधि कार्यालय सिवान में नियोजित किया जाता है –

क्रस	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता
1	रोहित कुमार देव /386	रामचन्द्र माँझी	ग्राम–बैकुण्ठपुर हुसैनगंज
2	अरविन्द कुमार यादव/387	रामदेव प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–सेमाटार, गुठनी
3	पंकज कुमार/388	बॉके लाल प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–सरसर, सिवान

उपर्युक्त सभी कार्यपालक सहायको को निदेश दिया जाता है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (समान्य प्रशासन विभाग) के शर्तो के अनुरूप डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा कार्ड, यु0पी0एस के साथ पत्र निर्गत तिथि के तीन दिनो के अन्दर जिला औषधि कार्यालय सिवान में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

नियोजन की शर्ते–

1. नियोजन अस्थायी रूप से आदेश निर्गत तिथि से 11 माह के लिए होगा, परन्तु इस अवधि में सेवाएँ असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना किसी सूचना के नियोजन समाप्त की जा सकती है अथवा विभाग के द्वारा नये पदस्थापन होने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
2. उपरोक्त कार्यपालक सहायको को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार पटना द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय देय होगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नही होगी। इसका अनुरक्षण (Maintenance) की सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालक सहायको की होगी।
3. कार्यपालक सहायक (Excutive Assistant) अपने साथ निर्धारित हार्डवेयर – एक डेस्कटॉप,एक प्रिन्टर (Black & White) एक यू0पी0एस0, इन्टंरनेट कनेक्शन हेतु डाटाकार्ड के साथ संबंधित कार्यालय में अविलम्ब योगदान देंगे।
4. संविदा के आधार पर नियोजित/ अनुशंसित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य केवल आकस्मिक अवकाश ही देय होगा।
5. संविदा पर नियोजित/अनुशंसित अभ्यर्थी को सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
6. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं एकरारनामा समर्पित करना अनिवार्य होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक :.....04...../सिवान, दिनांक :....2.1.2018........

प्रतिलिपि : संबंधित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सहायक औषधि नियंत्रक–सह–अनुज्ञापन प्राधिकारी, औषधि नियंत्रन प्रसासन सिवान एवं सभी औषधि निरीक्षक औषधि कार्यालय सिवान को सुचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर समाहरणालय सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं पत्र को जिला वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, सिवान को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वास्थ विभाग बिहार पटना के पत्रांक 922(15) दिनांक 13.10.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

असैनिक शल्यचिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सिवान।